गृह विभाग

आदेश

दिनांक 16 अप्रैल, 2004

क्रमांक 2/7/96-2 गृह (गो०).—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल, राज्य में सम्भावित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये संतुष्ट है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन जिलाधीशों को तुरन्त कार्यवाही करने हेतु प्राधिकृत करना आवश्यक है।

इसलिये, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा निर्देश देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप धारा (2) के अधीन राज्य सरकार की शक्तियां हरियाणा राज्य के सभी जिलाधीशों द्वारा भी उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर, (दिनांक 22 अप्रैल, 2004 से 21 जुलाई, 2004 तक) तीन मास की अवधि के लिये प्रयोग की जा सकेंगी।

प्रमिला ईसर,

चण्डीगढ़ : वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,

दिनांक 12 अप्रैल, 2004 गृह विभाग।

राजस्व विभाग

युद्ध जागीर अधिसूचना

दिनांक 19 अप्रैल, 2004

क्रमांक 663-ज-2-2004/7182.—श्री सरूप सिंह पुत्र श्री काला राम, निवासी गांव धोड, तहसील बेरी, जिला झज्जर की पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1213-ज-III-70/9666, दिनांक 29 अप्रैल, 1970 द्वारा 100/- रुपये वार्षिक की दर से युद्ध जागीर मंजूर की गई थी। और बाद में अधिसूचना क्रमांक 5041-आर-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा 150/-रुपये, अधिसूचना क्रमांक 1789-ज-1-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा 300/- रुपये, अधिसूचना क्रमांक 2944-ज-2-93/15918, दिनांक 26 अगस्त, 1993 द्वारा 1,000/-रुपये वार्षिक तथा अधिसूचना क्रमांक 1434-ज-2-2002/9460, दिनांक 12 जून, 2002 द्वारा 5,000/-रुपये वार्षिक की दर से युद्ध पुरस्कार अनुदान में संशोधन किया गया है।

2. अब श्री सरूप सिंह की दिनांक 14 अगस्त, 2003 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त अधिनियम (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस जागीर को स्व० सरूप सिंह की पत्नी श्रीमती बर्जी देवी के नाम रबी 2003 से 5,000/-रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं।